न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बाड़मेर

पीठासीन अधिकारीः— श्री नवनीत कुमार, आई. ए. एस.

राजस्व अपील/223/रा.का.अधि./89/2023/बाड़मेर

अपीलांट	रेस्पोडेंटगण
कालु पुत्र सोभा, जाति मुसलमान, निवासी धोलकिया, तहसील शिव, जिला बाड़मेर।	1. शोभा पुत्र मेडाक 2. नेना खां पुत्र सोभा खां 3. काछवा पुत्र सोभा 4. फौजा पुत्र गुढा 5. दादु पुत्र गुढा, जाति मुसलमान, निवासी धोलकिया, तहसील शिव, जिला बाड़मेर। 6. श्रीमान तहसीलदार, शिव।

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 विरूद्व सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, शिव द्वारा राजस्व वाद संख्या 30/2012 बउनवान शोभा बनाम कालु वगैरह में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 07.05.2012 के विरूद्ध पेश हुई।

उपस्थितिः—

1. वकील श्री अमृतलाल जैन अपीलांट की ओर से।
2. वकील श्री हाकमसिंह भाटी उतरदाता संख्या 02 व 03 की ओर से।
3. शेष रेस्पोडेन्ट बावजूद सूचना अनुपस्थित।

—:निर्णयः—

दिनांकः—23.09.2025

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि रेस्पोंडेन्ट संख्या 01 से 03 (वादीगण) ने अधीनस्थ न्यायालय में एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88, 91, 188 व 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत इस आशय का पेश किया कि वादी संख्या 1 व प्रतिवादी संख्या 2 व 3 के वालिद गुढा ने शमलाती रूप से अपने परिवार व वारिसान के हित में ग्राम आकली के खेत खसरा संख्या 21 में रकबा 65 बीघा 10 बिस्वा तथा खेत खसरा संख्या 362/30 में रकबा 78 बीघा 11 बिस्वा जरिये पंजीबद्व दस्तावेज के क्रय किया था पटवारी हल्का ने अपने रेकार्ड में वादी संख्या 1 सोभा की वल्दियत कालू को लिख दी जबकि प्रतिवादी संख्या 1 व वादी संख्या 1 सोभा का बेटा है इस आराजी का रेकार्ड में वादी व प्रतिवादी संख्या 1 दोनों के नाम का अंकन होना चाहिये था, लेकिन राजस्व अधिकारियों ने गलती से उक्त खेत में वादीगण का नाम का अंकन नहीं किया। ऐसी स्थिति में हस्तगत प्रकरण की वादग्रस्त आराजी में वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 को सह खातेदार घोषित किया जावे। इस हेतु वादीगण/रेस्पों. संख्या 01 से 03 की ओर से अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद प्रस्तुत किया गया था। उक्त वाद दर्ज होने करने के पश्चात् अधीनस्थ न्यायालय में वादीगण द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 की तरफ से षडयंत्र पूर्वक दिनांक 02.05.2012 को एक राजीनामा प्रस्तुत कर हस्तगत वाद को निर्णीत करवा दिया। जिससे व्यथित होकर हस्तगत अपील पेश की गई।

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेसपोडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की पत्रावली पर बहस सुनी गई।

वकील अपीलांट ने बहस करते हुए निवेदन किया कि रेसपोंडेन्ट संख्या 01 से 03/ वादीगण ने अधीनस्थ न्यायालय में एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88, 91, 188 व 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत इस आशय का पेश किया कि वादी संख्या 1 व प्रतिवादी संख्या 2 व 3 के वालिद गुढा ने शामलाती रूप से अपने परिवार व वारिसान के हित में ग्राम आकली के खेत खसरा संख्या 21 में रकबा 65 बीघा 10 बिस्वा तथा खेत खसरा संख्या 362/30 में रकबा 78 बीघा 11 बिस्वा जरिये पंजीबद्ध दस्तावेज के क्रय किया था पटवारी हल्का ने अपने रेकार्ड में वादी संख्या 1 सोभा की वल्दियत कालू को लिख दी जबकि प्रतिवादी संख्या 1 व वादी संख्या 1 सोभा का बेटा है इस आराजी का रेकार्ड में वादी व प्रतिवादी संख्या 1 दोनों के नाम का अंकन होना चाहिये था; लेकिन राजस्व अधिकारियों ने गलती से उक्त खेत में वादीगण का नाम का अंकन नहीं किया। ऐसी स्थिति में हस्तगत प्रकरण की वादग्रस्त आराजी में वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 को सह खातेदार घोषित किया जावे। इस हेतु वादीगण/रेस्पों. संख्या 01 से 03 की ओर से अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद प्रस्तुत किया गया था। उक्त वाद दर्ज होने करने के पश्चात् अधीनस्थ न्यायालय में वादीगण द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 की तरफ से षडयंत्र पूर्वक दिनांक 02.05.2012 को एक राजीनामा प्रस्तुत कर हस्तगत वाद को निर्णीत करवा दिया। उक्त कथित राजीनामा वकील प्रतिवादी की अनुपस्थिति में प्रस्तुत किया गया है। कथित राजीनामा पर अपीलांट का अंगुष्ठ निशान बताकर पेश करते हुए अपीलांट की पहचान सेवानिवृत आर.आई. सवाईसिंह के द्वारा पहचान किये जाने का अंकन किया गया है। लेकिन कथित राजीनामा की इबारत के दूसरे पृष्ठ पर सवाईसिंह के हस्ताक्षर अवश्य किया जाना दर्शित है लेकिन सवाईसिंह द्वारा किसे पहचाना बताया इसका उल्लेख ही नहीं है इसलिए कथित राजीनामा को अधार बनाकर अपीलाधीन निर्णय पारित किया जाना विधिक नहीं हो सकता है। कथित राजीनामा पर अपीलांट का अंगुष्ठ का निशान है या नहीं यह भी स्पष्ट नहीं है। प्रथम दृष्टया अंगूठा पहले लगाकर इबारत लिखा जाना प्रतीत होता है। ऐसा राजीनामा को विधि अनुसार नहीं माना जा सकता है। कथित राजीनामा किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया इसका पृष्ठांकन राजीनामा पर नहीं होने से भी राजीनामा मान्य किया जाना न्याय संगत प्रतीत नहीं होता है। साथ ही अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सामान्य प्रचलित रीति से सम्मन जारी करने का आदेश दिया था लेकिन पत्रावली से उक्त सम्मन रजिस्टर्ड डाक से बिना न्यायालय के आदेश से जारी किये गये जो अपीलांट/प्रतिवादी को प्राप्त होने का कोई प्रमाण पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है। उक्तानसुार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट का जवाब लिये बिना ही बाले–बाले अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। जो विधि के प्रावधानों के विपरीत जाकर अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। अपीलाधीन निर्णय व डिक्री अपीलांट को बिना सुनवाई सबूत का अवसर दिये बाले–बाले ही पारित की गई। जो पूर्णतया त्रुटिपूर्ण एवं मिलावट युक्त आदेश है। मात्र कथित राजीनामा को आधार मानते हुए अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है जो विधि विरूद्ध होने से खारिज किये जाने योग्य है। उक्तानुसार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया जो प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

खिलाफ है। अपीलांट को सुने बिना निर्णय पारित किया गया है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय खारिज फरमाया जावे एवं पत्रावली को पुनः विधि अनुसार निर्णय पारित करने हेतु रिमाण्ड किया जाने का आदेश प्रदान करावें।

वकील रेस्पोडेन्ट द्वारा बहस करते हुए वकील अपीलांट के कथनों का समर्थन हस्तगत प्रकरण को विधि सम्मत निर्णय हेतु पुनः अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किये जाने हेतु निवेदन किया।

वकील अपीलांट ने धारा 5 लिमिटेशन के प्रार्थना–पत्र पर बहस करते हुए बताया कि अपीलाधीन निर्णय की जानकारी अपीलांटस को पूर्व में नहीं रही। इस त्रुटिपूर्ण आदेश का ज्ञान अपीलांटगण को होते ही अपीलांट के द्वारा उसी दिन नकल के लिये आवेदन किया और नकलें प्राप्त की गयी। अपीलांटस को सम्पूर्ण तथ्यों की जानकारी हुई जिससे यह अपील अन्दर म्याद पेश है। अपील पेश करने में हुआ विलंब सद्भाविक है अतः अपील अन्दर मियाद शुमार की जावे।

वकील रेस्पोडेंट द्वारा वकील अपीलांट के कथनों का समर्थन किया गया।

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की धारा 05 लिमिटेशन प्रार्थना–पत्र पर बहस सुनने के पश्चात न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि हस्तगत प्रकरण का निस्तारण तकनीकी बिंदुओं के आधार पर खारिज करने की बजाय इसका निस्तारण गुणावगुण के आधार पर किया जाना युक्तियुक्त एवं न्यायोचित है। लिहाजा अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

पत्रावली का अवलोकन व उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस पर मनन करने के पश्चात यह तथ्य प्रकट हुआ कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री में अपीलांटस को सुनवाई हेतु समुचित अवसर प्रदान किये बिना ही पारित की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय पारित करने से पूर्व अपीलांटस को साक्ष्य सबूत पेश करने का कोई अवसर नहीं दिया गया। वकील अपीलांट के कथनानुसार राजीनामा जो बिना अपीलांट के सहमति के और बिना अपीलांट के जानकारी के ही अधीनस्थ न्यायालय में पेश किया जिसको आधार मानकर अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है। जो हाजा न्यायालय की राय में प्रथम दृष्टया उचित प्रतीत नहीं होता है। विचारण न्यायालय ने मूल वाद में प्रतिवादी पक्ष को अपना पक्ष प्रस्तुत करने का युक्तियुक्त अवसर प्रदान नहीं किया गया। हस्तगत प्रकरण में अपीलार्थी को प्रतिरक्षा एवं प्रतिपरीक्षा दोनों का अवसर प्राप्त नहीं हुआ है। मात्र प्रक्रियात्मक आधार पर ही अपीलांटगण को उसे विधिक अधिकारों से वंचित किया गया है जो कि न्याय के सारभूत सिद्धान्तों के प्रतिकूल है। अतः अभिलेख पर प्रकट इन सब तथ्यों को देखते हुए अपीलांटगण की अपील को वाद अंतर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के विचारण हेतु संपूर्ण प्रक्रियागत कार्यवाही पूर्ण कर गुणावगुण पर निर्णीत किये जाने हेतु रिमाण्ड करना उचित समझता हूँ।

लिहाजा अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, शिव द्वारा राजस्व वाद संख्या 30/2012 बउनवान शोभा बनाम कालु वगैरह में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 07.05.2012 को अपास्त

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

किया जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि उभयपक्ष को साक्ष्य सबूत पेश करने का अवसर देकर, वाद एवं जबावदावे के आधार पर तनकीयात कायम करते हुए एवं विधि सम्मत विवेचन करते हुए सभी पक्षकारों की उपस्थिति में गुणावगुण पर विधि सम्मत निर्णय पारित करे। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख मय निर्णय प्रति के लौटाया जावे।

23/9/2025

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील अधिकारी
(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

यह आदेश आज दिनांक 23.09.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

23/9/2025

राजस्व अपील प्राधिकारी
(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर